निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श०)

(सं0 पटना 862) पटना, शुक्रवार, 7 अक्तूबर 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

2 सितम्बर 2016

सं० 22 नि0 सि0 (डि0)–14–14/2013/1955—श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय, पूर्व महासचिव, जदयू0, बिहार, पटना से नहर प्रमण्डल, आरा के पदाधिकारियों द्वारा अस्सी पेड़ों की नीलामी के माध्यम से सरकारी पैसों की बड़े पैमाने पर की गई लूट से संबंधित प्राप्त परिवाद की जाँच उड़नदस्ता से कराई गई। उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त श्री सुखदेव राम (आई0 डी0 4483), तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, आरा से विभागीय पत्रांक 478 दिनांक 17.03.16 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण पूछा गयाः–

1. बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 2005 की कंडिका–145 के प्रावधानों के आलोक में करों की आदेयता यथा बिक्रीकर, आयकर एवं सेश तथा शर्त्त/प्रतिबंध में वाणिज्यकर विभाग में निबंधन इत्यादि का उल्लेख नीलामी सूचना की शर्त्तों में नहीं किए जाने के कारण आज तक बिक्रीकर, आयकर एवं सेश इत्यादि मदों में सफल Bidder से राशि प्राप्त कर संबंधित विभागों में जमा नहीं किया जा सका है जिसके फलस्वरूप सरकार को राजस्व की क्षति हुई है।

2. वाणिज्यकर विभाग में पेड़ों की नीलामी की राशि पर प्रभावी बिक्री कर की राशि जमा नहीं किए जाने के कारण वाणिज्य कर उपायुक्त, शाहाबाद अंचल, आरा द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, आरा से दण्ड सहित बिक्री कर के मद में कुल 3,40,119 रू0 की माँग की गई है। इस आर्थिक दण्ड की स्थिति उत्पन्न होने के लिए आप उत्तरदायी हैं।

3. नीलामी के पूर्व कार्यालय एवं आवासीय परिसरों के संदर्भ में ट्री रजिस्टर का संधारण आपके द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया जो आपकी सरकारी कर्त्तव्य के निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है।

श्री राम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में अंकित किया गया कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा लकड़ी के मूल्यांकण में उक्त करों का प्रावधान शामिल नहीं किया गया था जिसके कारण निविदा की शर्त्तों में इसका उल्लेख नहीं किया गया। बीडर द्वारा टैक्स जमा नहीं करने के कारण लकड़ी को रोककर रखा गया। ये पूरी बात जिला पदाधिकारी के भी संज्ञान में लाया गया और तत्पश्चात लकड़ी वाले के द्वारा टैक्स एवं सूद की राशि जमा की गई।

इस संबंध में विभागीय पत्रांक 1112 दिनांक 16.06.16 द्वारा वाणिज्य कर उपायुक्त, शाहाबाद अंचल, आरा से बिक्री कर जमा किए जाने से संबंधित प्रतिवेदन की माँग की गई जिसके आलोक में उपायुक्त, शाहाबाद अंचल, आरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पेड़ों की नीलामी से संबंधित वाणिज्य कर का भुगतान श्री सगीना कुमार शर्मा, महादेवा रोड, बिस्कुट गली, आरा के द्वारा वैट कर की राशि 102600.00 रू0 तथा ब्याज की राशि 32319.00 रू0 कुल 134919.00 रू0 का भुगतान बैंक ड्राफ्ट सं0 013755 दिनांक 18.12.15 द्वारा कर दिया गया है।

श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेख के आलोक में मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा दिनांक 19.09.15 को मामले की जाँच की गई। उनके द्वारा दिनांक 02.02.16 को रिपोर्ट दिया गया। जाँच के समय तक बिक्री कर की राशि जमा नहीं हुआ था। बिक्री कर की राशि दिनांक 18.12.15 को जमा करवाई गई है। यदि उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा इसका उद्‌भेदन नहीं किया गया होता तो बिक्री कर की राशि जमा नहीं हो पाती। समीक्षा में यह भी पाया गया कि श्री सुखदेव राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, आरा द्वारा नीलामी के पूर्व कार्यालय एवं आवासीय परिसरों के वृक्षों के संदर्भ में ट्री रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया।

मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सुखदेव राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, आरा को नीलामी के बाद Higesht Bidder से नीलामी राशि पर बिक्री कर नहीं लेने एवं नीलामी के पूर्व कार्यालय एवं आवासीय परिसरों के वृक्षों के संदर्भ में ट्री रजिस्टर का संधारण नहीं करने के लिए दोषी पाते हुए उनके विरूद्ध ''एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक'' का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुखदेव राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, आरा के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए उन्हें संसूचित किया जाता हैः–

''एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 862-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in